28.01.25

पत्रावली पेश। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 14 से का.कु. 14/1, अप्रार्थी 16 से का.कु. 16/1, अप्रार्थी 17 के का.कु. 17/6 (1) के अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया है। अतः उक्त अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाता है। शेष अप्रार्थीगण की उपस्थिति तामील शुदा जावा से पेश, उक्त अप्रार्थीगण नोटिस तामिली के उपरान्त भी अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया वादग्रस्त आराजी मौजा नोलिया पटवार हल्का गुन्दाऊ में खाता संख्या 149 में खसरा 285, 286, 292, 412, 413, 421, 586, 589 खाता संख्या 150 में ख.नं. 204, 247, 246 खाता संख्या 148 में ख.नं. 287, 288, 417 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य भू-विभाजन होना शेष है तथा राजस्व रेकर्ड में खातेदारी वादग्रस्त आराजी के तमाम खसरा की जानकारी इन्द्राज है इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 ता 22 प्रार्थीगण को अपने हिस्सा की आराजी में आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है परिणामस्वरूप वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण-अप्रार्थीगण के बीच विधिवत भू-विभाजन कर रास्तों की सुविधा का राजस्व रेकर्ड में विवाद को टालने के लिए स्पष्ट इन्द्राज करना अति आवश्यक हो गया है अप्रार्थी संख्या 01 ता 22 ने आपसी सहमति से बंटवारा कर रास्ते की सुविधा रेकार्ड में अभिलिखित कृषि करवाने के बजाय उल्टा प्रार्थीगण के हिस्सा व कब्जा की वादग्रस्त कृषि में आवागमन का रास्ता रोक लिया है अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण का वादग्रस्त रास्ता रोक जबरन कृषि कार्य में व्यवधान करने का कोई विधिसम्मत अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण 01 ता 22 इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला मूल वाद जारी फरमावे कि के प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व हिस्सा की आराजी मौजा नोलिया पटवार हल्का गुन्दाऊ के वर्तमान खसरा संख्या 292 रकबा 2.15 हैक्टेयर में [illegible] अप्रार्थीगण 01 ता 22 वर्तमान खसरा संख्या [illegible] 3.73 हैक्टेयर मौजा नोलिया के इतिहास [illegible] किसी अन्य से के रास्ते को न तो स्वयं रोके [illegible] व्यवधान उत्पन्न करवाकर प्रार्थीगण से खेती कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा न ही वादग्रस्त कृषि को आगे हस्तांतरित

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:08:30 IST
Reason: SelfAttested

करे तथा मूल वाद के निर्णय होने तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार वादग्रस्त आराजी खेतहद खातेदारी की प्रतीत होती है तथा नजरी नक्शे में दर्शित मार्ग प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उक्त आराजी होना प्रकट होता है जो प्रार्थीगण का आवागमन का एकमात्र मार्ग है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के निवारण हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित मानता हूं।

अतः मौजा तेलिया पटवार हल्का गुन्दाऊ तहसील सांचौर के वर्तमान खसरा संख्या 413 रकबा 3.73 हेक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण 01 ता 22 को पहिले अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा न ही किसी अन्य से करावे। पत्रावली नियमानुसार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:08:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner